

**डिक्री ब मुकदमें इब्दादाई**  
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)  
(Civil Procedure Code, Appendlax 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर सेडवा मुकाम सेडवा जिला बाडमेर  
व इजलास श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. उमर पुत्र रसीद जाति मुसलमान निवासी रबासर तहसील धनाऊ जिला बाडमेर।		1. मीयल पुत्र रसीद 2. अजीमत पत्नी रसीद 3. नजरो 4. जुडया 5. ताजु पि. गफूर 6. अलीशेर पुत्र रोशन 7. समानी पत्नी रोशन 8. कलदर पुत्र आरब 9. सुराब पुत्र उस्माण 10. साहेजा पत्नी ओसमान 11. ममताज 12. मजीद पि. ओसमान 13. रेशमा पत्नी मजीद जाति मुसलमान निवासी अदरीम का तला तहसील धनाऊ जिला बाडमेर। 13. श्रीमान तहसीलदार धनाऊ जिला बाडमेर।

मुकदमा नम्बर : 111/2021

हाबत : राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53,188 RT Act

**उमर बनाम मियल वगैरा**



यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रू-ब-रू पक्षकारान व हाजरी उपस्थित मिनजानिव मुदई सहदी वकील की ओर ब्रीफ हॉल्डर अधि. फताराम गोदारा उपस्थित मनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि तहसीलदार धनाऊ द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 20.10.2021 को प्रस्तुत किया गया। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री निम्न प्रकार की जाती है।

क.सं.	नाम खातेदारान	ग्राम	ख. नं.	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	नजरो जुडया ताजु पि. गफूर उमान पत्नी गफूर जुडया ताजु ना. बा.का वली माता उमानी पत्नी गफूर कौम मुसलमान सा देह खातेदार	अधरीम का तला	271/97	40.03 बीघा	बारानी सोयम	0.15	नीला
2	अजीमत पत्नी रसीद कौम मुसलमान सा देह खातेदार	अधरीम का तला	271/97	08.02 बीघा	बारानी सोयम	0.24	केसरिया
3	उमर वल्द रसीद कौम मुसलमान सा देह खातेदार	अधरीम का तला	271/97	09.17 बीघा	बारानी सोयम	0.29	पीला
4	मीयल वल्द रसीद कौम मुसलमान सा देह खातेदार	अधरीम का तला	271/97	08.02 बीघा	बारानी सोयम	0.24	बैंगनी
5	साहेजा पत्नी ओसमान ममताज मजीद पि. ओसमान ना.बा. का वली माता साहेजा पत्नी ओसमान रेशमा पत्नी मजीद कलन्दर वल्द आरब अलीशेर वल्द रोशन समानी पत्नी रोशन सुराब वल्द उस्मान कौम मुसलमान सा देह खातेदार	अधरीम का तला	271/97	09.09 बीघा	बारानी सोयम	0.28	लाल

*B. K. S.*  
सहायक कलक्टर  
(SDO) सेडवा



तहसीलदार धनाऊ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव की पालना अनुरूप विभाजन की अन्तिम डिक्री नक्शे में अलग-अलग रंग दर्शाये अनुसार जारी की जाती है। उपरोक्तानुसार खातेदार के हिस्से की आराजी का नक्शा लट्टा में तरमीम करने एवम् पृथक पृथक खातेदार में दर्ज करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को तहरीर जारी हो। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करे।

बसगत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 09.12.2022 को जारी की गई।



*Rajib*  
(रामजी भाई कलबी)  
सहायक कलेक्टर  
(SDO) सेड़वा

### वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1	वाद के लिए स्टाम्प	शाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2	शाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प	
3	प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस	
4	..... रूपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5	साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यह	आदेशिका की तामिल	
6	कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस	
7	आदेशिका की तामिल		

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा**  
( पीठासीन अधिकारी : श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस. )

मुकदमा नम्बर :- 111/2021

दावा बाबत :-राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 RT Act.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. उमर पुत्र रसीद जाति मुसलमान निवासी रबासर तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर।		1. मीयल पुत्र रसीद 2. अजीमत पत्नी रसीद 3. नजरो 4. जुडया 5. ताजु पि. गफुर 6. अलीशेर पुत्र रोशन 7. समानी पत्नी रोशन 8. कलदर पुत्र आरब 9. सुराब पुत्र उसमाण 10. साहेजा पत्नी ओसमान 11. ममताज 12. मजीद पि. ओसमान 13. रेशमा पत्नी मजीद जाति मुसलमान निवासी अदरीम का तला तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर। 13. श्रीमान तहसीलदार धनाऊ जिला बाड़मेर।



अधिवक्तागण – वादी वकील – श्री हुकमसिंह गोदारा के ब्रीफ हाल्डर अधि. फताराम गोदारा

--:निर्णय :-

दिनांक 09.12.2022

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा दिनांक 09.09.2021 को प्राथमिक डिक्री जारी की गयी थी जिसकी पालना में तहसीलदार धनाऊ के पत्रांक/भू.अ./2021/264 दिनांक 20.10.2021 द्वारा मौजा अधरीम का तला पटवार हल्का रबासर तहसील धनाऊ में खेत खसरा संख्या 271/97 रकबा 40.03 बीघा का विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। वादी अधिवक्ता की ओर से ब्रीफ हॉल्टर अधि. फताराम गोदारा उप0। अधिवक्ता ने तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनने का निवेदन किया गया। वादी वकील की बहस सुनी गई। तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार मौजा अधरीम का तला पटवार हल्का रबासर तहसील धनाऊ में खेत खसरा संख्या 271/97 रकबा 40.03 बीघा के विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण व सैडे-पडौसियों मौके पर उपस्थित मिले। वादी एवं प्रतिवादीगण तथा सैडे-पडौसियों को साथ रखकर वर्तमान उपलब्ध लट्ठा ट्रेस अनुसार खसरा संख्या 271/97 रकबा 40.03 बीघा का मौका देखा गया। उपलब्ध चालू लट्ठा ट्रेस एवं जमाबंदी संवत् 2071-2074 अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगणों के काश्त-कब्जा अनुसार मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगणों के काश्त-कब्जा अनुसार मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा अपने-अपने कब्जे में ढाणी (मकान) व बोर बना रखी है तथा प्रतिवादीगणों का केवल काश्त-कब्जा पाया गया। मौजा अधरीम का तला की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2071-2074 के खाता 42 खसरा संख्या 271/97 रकबा 40.03 बीघा का इन्द्राज निम्न प्रकार है-

*B. P. Singh*  
सहायक कलक्टर  
(SDO) सेड़वा

क.सं.	नाम खातेदारान	ग्राम	ख. नं.	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	नजरो जुडया ताजु पि. गफूर उमान पत्नी गफूर जुडया ताजु ना. बा.का वली माता उमानी पत्नी गफूर कौम मुसलमान सा देह खातेदार	अधरीम का तला	271/97	40.03 बीघा	बारानी सोयम	0.15	नीला
2	अजीमत पत्नी रसीद कौम मुसलमान सा देह खातेदार	अधरीम का तला	271/97	08.02 बीघा	बारानी सोयम	0.24	केसरिया
3	उमर वल्द रसीद कौम मुसलमान सा देह खातेदार	अधरीम का तला	271/97	09.17 बीघा	बारानी सोयम	0.29	पीला
4	मीयल वल्द रसीद कौम मुसलमान सा देह खातेदार	अधरीम का तला	271/97	08.02 बीघा	बारानी सोयम	0.24	बैंगनी
5	साहेजा पत्नी ओसमान ममताज मजीद पि. ओसमान ना.बा. का वली माता साहेजा पत्नी ओसमान रेशमा पत्नी मजीद कलन्दर वल्द आरब अलीशेर वल्द रोशन समानी पत्नी रोशन सुराब वल्द उस्मान कौम मुसलमान सा देह खातेदार	अधरीम का तला	271/97	09.09 बीघा	बारानी सोयम	0.28	लाल

फर्द मौका पढ़कर सुनाया। मौके पर वादी उपस्थित। प्रतिवादी में जुड़िया ताजू पि. गफूर, उमानी पत्नी गफूर, अजीमत पत्नी रसीद, मियल वल्द रसीद, अलीशेर वल्द रोशन, समानी पत्नी रोशन, कलन्दर पुत्र आरब, सुराब वल्द उस्मान साहेजा वल्द ओसमान, रेशमा पत्नी मजीद भी उपस्थित रहे। फर्द मौका पर हस्ताक्षर/अंगुठे नक्शा फर्द का अभिन्न अंग रहेगा।

तहसीलदार धनाऊ को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20.10.2021 निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिले दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2022 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।



*Rajib*  
(रामजी भाई कलबी)  
सहायक कलेक्टर  
(S.D.O) सोनभद्र